रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 979] नई दिल्ली, सोमवार, मई 11, 2015/वैशाख 21, 1937
No. 979] NEW DELHI, MONDAY, MAY 11, 2015 /VAISAKHA 21, 1937

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मई, 2015

का.आ. 1253(अ).— खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 26 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार **एतद्द्वारा** यह निदेश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (1) में परन्तुक के अधीन प्रयोग की जाने वाली शक्ति का प्रयोग अपर सचिव, कोयला मंत्रालय द्वारा उस सीमा तक किया जाएगा जहां तक इसका संबंध कोयला सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के संबंध में कोयले और लिग्नाइट से है।

[फा. सं. 110033/1/2015-सीए-II]

आर. पी. गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COAL

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th May, 2015

S. O. 1253(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 26 of the Mines and Minerals (Development and Regulations) Act,1957 (67 of 1957), the Central Government hereby directs that the power exercisable by it under the proviso to sub-section (1) of Section 5 of the said Act, shall be exercised by Additional Secretary, Ministry of Coal, so far as it relates to coal and lignite in respect of Coal Public Sector Undertakings.

[F. No. 110033/1/2015-CA-II]

R. P. GUPTA, Jt. Secy.

2092 GI/2015

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.